रामनायक

बनाम

यू. पी. राज्य चीनी निगम

31 अगस्त, 2007

(तरूणचटर्जी और डी.के. जैन, जे.जे.)

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अधिग्रहण अधिनियम 1971 एस. 10 आर/डब्ल्यू 16(3)- अधिनियम के तहत एक चीनी उपक्रम का अधिग्रहण-कर्मचारी ने पूर्ववर्ती उपक्रम में नियत दिन पर कार्य करने का दावा किया-मौखिक आदेश द्वारा कर्मचारी की बर्खास्तगी- श्रम न्यायालय ने मौखिक बर्खास्तगी को गलत ठहराते हुए बहाली के निर्देश दिये- उच्च न्यायालय ने धारा 16(3) के संदर्भ में अधिनिर्णय को अवैध बताते हुए अपील में निर्धारित किया-यह जानकारी करना आवश्यक था कि कर्मचारी पूर्ववर्ती नियोक्ता के अधीन नियत दिन काम कर रहा था इसलिए कर्मचारी को श्रम कानून के अधीन निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष धारा 10 सपठित धारा 16(3) के तहत आवेदन करने के लिए निर्देशित किया।

अपीलार्थी/कर्मचारी जिस उपक्रम में काम कर रहा था वह उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अधिग्रहण अधिनियम 1971 के तहत प्रत्यर्थी-कंपनी में निहित था। अपीलार्थी की सेवाओं को एक मौखिक आदेश द्वारा समाप्त

कर दिया गया था। अपीलार्थी ने औद्यौगिक विवाद उठाते हुए दावा किया किवह अधिनियम के तहत नियत दिन पर पूर्ववर्ती उपक्रम के अधीन काम कर रहा था। श्रम न्यायालय ने बर्खास्तगी को गलत ठहराया और सेवा और पिछले वेतन की निरंतरता के साथ उसकी बहाली का निर्देश दिया। अधिनिर्णय को रिट याचिका के द्वारा चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका केवल इस आधार पर स्वीकार की गई कि अधिनियम की धारा 16(3) के तहत दिया गया अधिनिर्णय अनुचित था।

अपील निस्तारित की गई तथा न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:-

1. उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अधिग्रहण अधिनियम 1971 की धारा 10 सपठित धारा 16(3) के अन्तर्गत यह तय किया जाना आवश्यक था कि अपीलार्थी नियत दिन को आवश्यक रूप से प्रत्यर्थी अधिग्रहण उपक्रम के अधीन कार्य कर रहा था। इस उद्देश्य के लिए अपीलार्थी को उपरोक्त अधिनियम की धारा 10 सपठित धारा 16(3) के अन्तर्गत निर्धारित प्राधिकारी से सम्पर्क करना उचित था। अधिग्रहण अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण निर्धारित प्राधिकारी को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह इस अधिनियम के अधीन यह निष्कर्ष प्रदान करे कि संबंधित कर्मचारी अनुसूचित उपक्रम में नियत दिन से पूर्व कार्यरत था। (पैरा 04)

2. इस संदर्भ में, यदि निर्धारित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलार्थी नियत दिन को अनुसूचित उपक्रम में कार्य कर रहा था तो संबंधित निगम द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिट याचिका स्वतः ही बहाल रहेगी तथा उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के आधार पर, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त निष्कर्षों पर उक्त रिट याचिका को गुणावगुण कर निस्तारित किया जाएगा। यदि निर्धारित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलार्थी पूर्ववर्ती नियोक्ता के अधीन नियत दिन को कार्यरत नहीं था तो अपील खारिज कर दी जायेगी तथा अधिनिर्णय भी खारिज हो जायेगा। (पैरा 05)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 का सिविल अपील नम्बर 4008

सिविल विविध रिट याचिका क्रमांक 5385/1998 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश दिनांक 10.07.2006 से।

भरत सिंघल व अभिनव रामकृष्ण अपीलार्थी की ओर से

राकेश उतम चन्द्र उपाध्याय व अजय राय प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय द्वारा

न्यायमूर्ति तरूण चटर्जी

1. याचिका स्वीकृत।

2. हस्तगत अपील विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से स्वीकार की गई जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिविल विविध रिट याचिका क्रमांक वर्ष 1998 का 5385 जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की ओर से दायर की गई रिट याचिका को स्वीकार किया जाकर पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय वाराणसी उत्तर प्रदेश के समक्ष न्यायानिर्णित विवाद क्रमांक 89 वर्ष 1994 दिनांक 05.06.1997 के द्वारा आदेशित किया गया था कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी की सेवा की निरंतरता के साथ उसके पूर्व बकाया वेतन की बहाली कर उसे नियमित करे, को अपास्त कर दिया गया था।

3. श्रम न्यायालय के समक्ष न्यायानिर्णय के लिए निम्न संदर्भ दिया गया था:

"क्या नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी रामनायक की 01.06.1990 से सेवा समाप्ति अनुचित तथा अवैध थी?"

उक्त संदर्भ को न्यायानिर्णयन हेतु विवाद संख्या 89 वर्ष 1994 के रूप में पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय वाराणसी उत्तर प्रदेश के समक्ष पंजीकृत किया गया। अपीलार्थी ने दावा किया कि वह तत्कालिन रतना शुगर मिल के अधीन नियत दिन को कार्य कर रहा था जो उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अधिग्रहण अधिनियम 1971 (जिसे इसके पश्चात् अधिग्रहण अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अधीन संचालित है।

दिनांक 24.04.1989 से रतना शुगर मिल को निगम को सौंप दिया गया क्योंकि उक्त दिनांक अधिग्रहण अधिनियम की धारा 2(ए) के तहत नियत दिन थी। हालांकि अपीलार्थी की सेवा को एक मौखिक आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया था जिसके संबंध में संदर्भ प्रस्तुत किया गया था। श्रम न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि-

"सेवा समाप्ति का मौखिक आदेश अनुचित था इसलिए अपीलार्थी को निगम में बकाया वेतन तथा सेवा की निरंतरता के साथ पुनः स्थापित किया जाये।इस अधिनिर्णय को निगम द्वारा रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जैसा कि ऊपर उल्लेखित है उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका स्वीकार की गई और अधिनिर्णय को केवल इस आधार पर अपास्त कर दिया कि श्रम न्यायालय द्वारा पारित किया गया अधिनिर्णय अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16(3) के परिपेक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे अभिलेख पर रखा जाता है कि उच्च न्यायालय ने अधिनिर्णय को अपास्त करते समय गुणावगुण पर ध्यान नहीं दिया कि क्या अपीलार्थी मौखिक बर्खास्तगी के आदेश को विधिक रूप से अनुचित तथा अवैध साबित करने में विफल रहा था?"

4. उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को

सुनने के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 10 सपठित धारा 16(3) के प्रावधान पर विचार करने के पश्चात् हमारी यह सुदृढ़ राय है कि अधिग्रहण अधिनियम के तहत नियत दिन को अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के अधीन कार्यरत होना आवश्यक था। इस उद्देश्य के लिए अपीलार्थी को यह निर्देश देना उचित होगा कि अधिनियम की धारा 10 सपठित धारा 16(3) के अन्तर्गत निर्धारित प्राधिकारी से सम्पर्क करना उचित था। अधिग्रहण अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण निर्धारित प्राधिकारी को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह इस अधिनियम के अधीन यह निष्कर्ष प्रदान करे कि संबंधित कर्मचारी अनुसूचित उपक्रम में नियत दिन से पूर्व कार्यरत था।

5. प्रकरण पर इस दृष्टिकोण से विचार करते हुए हम अपीलार्थी को यह निर्देश देना उचित समझते है कि वह अधिनियम की धारा 10 सपठित धारा 16(3) के तहत निर्धारित प्राधिकारी से उपरोक्त प्रश्न पर निष्कर्ष हेतु सम्पर्क करे। अपीलार्थी निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष इस दिनांक से आठ सप्ताह के भीतर आवेदन कर सम्पर्क करेगा।इसके पश्चात् निर्धारित प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तथा पक्षकारों को सुनवाई का उचित समय देने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति के पश्चात् दो माह के भीतर प्रश्न का निर्धारण करेगा। यदि निर्धारित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहंुचता है कि अपीलार्थी अनुसूचित उपक्रम में नियत दिन कार्य कर

रहा था तो निगम द्वारा उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका स्वतः ही बहाल हो जायेगी तथा इसके पश्चात् उच्च न्यायालय रिट याचिका पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को दिए गए निर्देशों के अधीन प्राप्त निष्कर्षों पर विचार करते हुए गुणावगुण पर निर्णय करेगा। यदि निर्धारित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलार्थी तत्कालीन नियोक्ता के अधीन नियत दिन को कार्य नहीं कर रहा था तो अपील खारिज हो जायेगी तथा अधिनिर्णय भी अपास्त हो जाएगा।

अपील उपरोक्त प्रकार से निस्तारित की जाती है। व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनीता नसवारिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।